FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[CCA Appeal Case No.-67/2025]

Kavi Kumar @ Kavi Paswan..Appellant

Versus

The State of Bihar ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	25.2.2026	(see order below)	

25.2.2026

आदेश

यह CCA अपील वाद जिला दण्डाधिकारी, पूर्णिया द्वारा CCA वाद सं0-62/2025 में दिनांक-07.10.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी।

दिनांक-05.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी राज्य का Written Statement दाखिल है।

जिला दण्डाधिकारी, पूर्णिया के अपीलाधीन आदेश दिनांक-07.10.2025 में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा-2(b) के तहत श्री कवि कुमार उर्फ कवि पासवान, पिता-जयकिशोर पासवान, सा0-आझोकोपा, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया को असामाजिक तत्व Declare करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से दिनांक 15 जनवरी 2026 तक के लिए पूर्णिया जिला के रूपौली थाना से के. हाट थाना के लिए थाना बदर किया गया। इस अपील वाद का Issue in question यह है कि पुलिस द्वारा लाये गये प्रस्ताव एवं साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी श्री कवि कुमार उर्फ कवि पासवान, पिता-जयकिशोर पासवान, सा0-आझोकोपा, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया कानून में परिभाषित Anti-social element में आते हैं अथवा नहीं।

Bihar Control of Crimes Act, 2024 के धारा-2(बी) में असामाजिक तत्व (Anti Social Element) का परिभाषा अंकित है :-

असामाजिक तत्व से अभिप्रेत है, जो व्यक्ति

(i) भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत कोई दंडनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(ii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता है या करने में दुष्प्रेरण करता है; या

(iii) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत कोई अपराध करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(iv) धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मो, मूलवंशीय या भाषाई दलों या जातियों या समुदायों के बीच शब्दों द्वारा या अन्यथा शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित या प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता हो; या

(v) जो स्त्रियों और लड़कियों पर आदतन अश्लील फब्तियाँ करता हुआ या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया है; या

(vi) बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के प्रावधानों के अधीन ''गुण्डा'' घोषित किया गया हो; या

(vii) आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी अग्नायुध या गोला-बारूद के निर्माण या विक्रय या परिवहन या संचरण या अवैध व्यापार या सम्परिवर्तन या मरम्मत या परीक्षण या परिशुद्धि करता है या करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या इसके किसी व्यक्ति की ओर से अग्नायुध या गोला-बारूद का संधारण या वहन करता है।

(viii) खान और खनिज (विकास और निनियमन) अधिनिमय, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम की धारा-67) या बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण अधिनियम, 2019) और समय-समय पर यथासंशोधित अथवा तथा उस समय प्रभावी अन्य कोई नियम के अन्तर्गत बालू से संबंधित अपराध करता है या

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

25.2.2026

किसी प्रकार का अपराध करने का प्रयास करता है या इसके लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(ix) समय-समय पर संशोधित बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम, 2016 या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि एवं इसके अधीन बनाए गए नियम, अधिसूचना तथा आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या हानिकारक मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन, निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय, वितरण करता है, अथवा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके माध्यम से उपरोक्त उल्लिखित चीजों में से किसी को आगे बढ़ाने या समर्थन करने के लिए जानबूझ कर कोई धन खर्च या लागू करता है या किसी जानवर, वाहन, जहाज, या अन्य वाहन या किसी भी पात्र या किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति करता है या जो किसी अन्य तरीके से ऐसे किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(x) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम, 2000 का 21) के अध्याय-xi के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(xi) या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेतृत्वकर्त्ता के रूप में अवैध और अनाधिकृत रूप से, बल या धमकी का उपयोग करके या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से किसी भी भूमि या भवन या किसी अन्य संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या कब्जा करने का प्रयास करता है, चाहे वह संपत्ति सरकार, स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य व्यक्ति की हो।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने, अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला दण्डाधिकारी, पूर्णिया का प्रासंगिक आदेश पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक-1208/अप.शा. दिनांक-28.9.2025 के आधार पर पारित किया गया है। सुनवाई में विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि निम्न न्यायालय के स्तर से BCCA, 2024 की धारा-2b(i) के आलोक में अपीलार्थी को Anti-social element घोषित करते हुए आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय जिला दंडाधिकारी, पूर्णिया के स्तर से उनके विरूद्ध पाँच (05) आपराधिक मामला अंकित है। उनका कहना है कि इनके से मात्र एक ही मामला (रूपौली थाना कांड सं0-162/2024, दिनांक-24.10.2024) में आरोप पत्र दाखिल है तथा अन्य मामलों में वे बेल पर हैं। इनके द्वारा दाखिल कागजातों से यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि रूपौली थाना कांड संख्या-41/2024, दिनांक-21.02.2024 में उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा-2(f) लागू नहीं रहने का अभिकथन उपस्थापित साक्ष्यों/कागजातों के आधार पर अप्रमाणित पाया जाता है। अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति जिला दण्डाधिकारी, पूर्णिया को वापस भेजें।

Bijay K.
25/2/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

Bijay K.
25/2/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया